राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः सीआरओ/राआम/2016-17/47/ 74 दिनांक : 21/06/16

कार्यालय आदेश

संचालक मण्डल की 231वीं बैठक के निर्णय बिन्दु संख्या 231.3 में प्रदत्त अनुमोदन की अनुपालना में, वर्तमान में प्रभावी संशोधित नीलामी प्रक्रिया आदेशांक एफ. 2(3)लागत/1034/650 दिनांक 28.01.14 के क्रम संख्या 10 के बिन्दु संख्या 03, 05 से 08 में वर्णित समयावृद्धि की शर्तो को विलोपित करते हुए निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

उच्चतम बोली दाता को आवंटन पत्र की मांग राशि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी। उच्चतम बोली दाता द्वारा मांग राशि उक्त अवधि में जमा नहीं कराने की स्थिति में यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद 30 दिवस के भीतर मय प्रक्रिया शुल्क जमा करवाकर समयावृद्धि हेतु आवेदन किया जाता है तो बकाया मांग राशि पर निर्धारित अन्तिम तिथि से 30 दिवस का 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज एवं यदि 30 दिवस पश्चात 31 से 60 दिवस के दौरान आवेदन करता है तो 60 दिवस का ब्याज 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूल करते हुए संबंधित उप आवासन आयुक्त द्वारा बोली को नियमित किया जा सकेगा। बकाया मांग राशि उक्त समयावधि में ही मण्डल खाते में जमा कराना अनिवार्य होगी।

पूर्व में जारी आदेश क्रमांक एफ.2(3)लागत/1042/47 दिनांक 18.05.16 में नीलामी द्वारा विक्रीत सम्पत्तियों के मांग पत्र की राशि विलम्ब से जमा कराने पर प्रति दिवस की दर से ब्याज वसूल किये जाने का उल्लेख है, जिसको विलोपित करते हुए 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज उक्तानुसार वसूलने का प्रावधान किया जाता है।

समयावृद्धि अवधि 60 दिवस पश्चात मण्डल द्वारा किसी प्रकार की राशि जमा किया जाना स्वीकार्य नहीं होगा और ना ही आवेदन स्वीकार किया जावेगा तथा नीलामी में प्राप्त उच्चतम बोली को उप आवासन आयुक्त द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा। संशोधित प्रावधानों को नीलामी शर्तो में आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जावें एवं बोलीदाताओं को जानकारी भी दी जावें।

अध्यक्ष एवं
आवासन आयुक्त

JD (JA)

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार/अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता/सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/तृतीय एवं अध्यक्ष अवसायन समिति, रा.आ.म.,जयपुर।
5. अति. मुख्य अभियन्ता द्वितीय रा.आ.म.,जोधपुर/OSD/ CEM/जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, I/II/III, जयपुर/जोधपुर-I, II/उदयपुर/कोटा/अलवर/बीकानेर।
7. संयुक्त निदेशक, (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ)रा.आ.मं.जयपुर को भेजकर लेख हे कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड़ करें।
8. आवासीय अभियन्ता, राज.आवा.मण्डल खण्ड-I/ II/ III/ IV/ V/ VI/ IX/ X/ XI/ XII/ XIII, पी.एच.ई-II, जयपुर, दौसा, अजमेर, झूंझूंनू, अलवर, भिवाडी, भरतपुर, बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ, कोटा, बारां, उदयपुर-I/II, भीलवाडा, डूंगरपुर, बांसवाडा, चितौडगढ, जोधपुर-I/II/III/IV, पाली, बाडमेर।
9. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, वृत- I/II/III, जयपुर/जोधपुर-I, II/ उदयपुर/ कोटा/अलवर/ बीकानेर।
10. संबंधित पत्रावली।
11. रक्षित पत्रावली ।

वित्तीय सलाहकार